

# परिषद् की वाराणसी जोन के अन्तर्गत वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, बलिया एवं गोण्डा नगरों की

**आवंटन/नीलामी तिथि 23.03.2013**  
**प्रातः 10:30 बजे**

**आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी**

**आवंटन/नीलामी स्थलः सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, जवाहरनगर, वाराणसी**



भवनों/भूखण्डों का प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर प्र. व. मी./अनु. मू. फ्री होल्ड सहित (रु. लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
--------------------------	--------	--------------------------	---	---------------------------------------

सम्पत्ति का प्रकार/संख्या	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर/अनु. मू. फ्री होल्ड सहित (प्र. व. मी.)	एफ. ए.आर. कवरज	अधि. ऊँचाई (मी. में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
---------------------------	--------	--------------------------	---	----------------	----------------------	---------------------------------------

**नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण**

**भरतपुरी योजना, गोण्डा**

आ. मू.-पी-1435-सामान्य कार्नर	01	336.40	5175.00	0.87
आ. मू.-पी-1436-सामान्य	01	295.00	4704.00	0.70
आ. मू.-पी-1437-अ.पि.वर्ग कार्नर	01	348.00	5175.00	0.91
आ. मू.-पी-1877-अनु.जा. कार्नर	01	261.76	5175.00	0.68
आ. मू.-पी-1827-अनु.जा./डी.पी.	01	75.00	4704.00	0.18
आ. मू.-पी-2055-अनु.जा./बी.इ.	01	63.17	4704.00	0.15
आ. मू.-पी-1668, 1670 सामान्य/ एम.एल.ए./एम.पी./एफ.एफ.	02	82.29, 82.50	4704.00	0.20
आ. मू.-पी-1117 व 1118 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	108.00	4704.00	0.26

**सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर**

आ. मू.-डी-10	01	232.00	8288.00	0.97
आ. मू.-डी-2/1	01	255.00	8288.00	1.06

**पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी**

ई.डब्ल्यू.एस.-2बी-90/1 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	3.50	8512.00	0.02
---	----	------	---------	------

**देव प्रयागम योजना, इलाहाबाद**

आ. मू.ए.-99 सामान्य	01	137.98	6720.00	0.47
आ. मू.ए.-151 अ.पि.वर्ग	01	60.59	6720.00	0.21
आ. मू.ए.-152 अनु.जा.	01	66.64	7392.00	0.25
आ. मू.ए.-153 अनु.जा.	01	72.80	7392.00	0.27
आ. मू.ए.-154 सामान्य	01	60.59	6720.00	0.21
आ. मू.ए.-165 सामान्य	01	54.20	6720.00	0.19
आ. मू.ए.-166 अ.पि.वर्ग	01	54.42	6720.00	0.19
आ. मू.ए.-167 सामान्य	01	53.59	6720.00	0.19

**नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियों का विवरण**

**कबीरनगर योजना, वाराणसी**

दुकान-एस-1/11	01	7.17	10.82	1.09
---------------	----	------	-------	------

**रस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर**

व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी.-1	01	66.33	16576.00	1.10
व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी.-2	01	64.64	16576.00	1.07
व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी.-3	01	71.74	16576.00	1.20
व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी.-4	01	80.89	16576.00	1.34

**आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप :** (1) योजना/शहर का नाम..... (1)

भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल (3) आवेदक का नाम..... (4) पिता/पति का नाम.....  
 ..... (5) पत्र व्यावाहर का पता, स्थायी पता..... (6) दूरभाष/मोबाईल नं.....  
 ..... ईमेल आईडी..... (7) आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण संलग्न करें)..... (8) संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण-बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक..... (9) निर्गमकर्ता बैंक का नाम, धनराशि..... (10) भुगतान का विकल्प..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

**सील्ड बिड का प्रारूप :** 1. योजना/शहर का नाम..... 2. सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल..... 3. आरक्षित मूल्य..... 4. आफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं).....

..... 5. टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु..... 6. बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....  
 ..... 7. नाम..... 8. पिता/पति का नाम..... 9. आरक्षण श्रेणी ..... (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)..... 10. पत्र व्यवहार का पता..... 11. दूरभाष/मोबाइल नं..... ईमेल आईडी..... हस्ताक्षर..... 12. दिनांक, स्थल, नाम, पिता/पति का नाम, संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम..... पूरा पता.....

**घोषणा (आवेदन एवं सील्ड बिड दोनों के साथ आवश्यक) :** 1. मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जैसी है जहां है'' के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। 2. मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम संबंधित..... शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ. प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। 3. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की वर्ष-2011-12 की समस्त सौतों से आय रु..... से अधिक नहीं है। 4. मुझे उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि.....स्थान.....

..... आवेदक के हस्ताक्षर व पता.....

**नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियों का विवरण**

**पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी**

कम्युनिटी सेन्टर-3ए-2 (लीज पर)	01	3053.68	9365.00	-	-	-	29.00
कम्युनिटी फैसिलिटी-1 (लीज पर)	01	1031.19	12768.00	-	-	-	13.17
कम्युनिटी फैसिलिटी-2 (लीज पर)	01	1480.00	12768.00	-	-	-	18.90

**शाहपुर योजना संख्या-1, गोरखपुर**

व्यावसायिक भूखण्ड सी.पी.-1	01	81.00	19488.00	-	-	-	1.58
----------------------------	----	-------	----------	---	---	---	------

**अवधपुरी योजना, फैजाबाद**

व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी.-6ए/7	02	368.50 (प्रति)	9408.00	1.5	50	15 मी.	3.47
व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी.-6बी	01	243.81	9408.00	1.5	50	15 मी.	2.30

**झूसी योजना संख्या-2, इलाहाबाद**

दुकान संख्या एस-2/33	01	13.59	4.44	-	-	-	0.45
दुकान संख्या एस-2/11	01	16.56	8.44	-	-	-	0.85
दुकान संख्या एस-2/10	01	14.32	7.35	-	-	-	0.74

**हरपुर योजना, बलिया**

व्यावसायिक भूखण्ड-2बी/सी.पी.-2	01	92.40	16352.00	-	-	-	1.54
--------------------------------	----	-------	----------	---	---	---	------

**शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर**

दुकान-एल.जी.एफ.एस-2,3,4,5,8,9,10,11	08	9.633	7.26	-	-	-	0.73
दुकान-यू.जी.एफ.एस-8,9	02	9.633	4.74	-	-	-	0.48
दुकान-एल.जी.एफ.एस-7	01	9.922	4.89	-	-	-	0.49
दुकान-एल.जी.एफ.एस-1,6,7,12	04	9.922	7.48	-	-	-	0.75

**डोमरौली योजना, मिर्जापुर**

व्यावसायिक भूखण्ड-105	01	174.00	12320.00	1.5	50	15 मीटर	2.15
व्यावसायिक भूखण्ड-110	01	144.00	12320.00	1.5	50	15 मीटर	1.78
व्यावसायिक भूखण्ड-114	01	289.45	12320.00	1.5	50	15 मीटर	3.57
दुकान संख्या-एस-2,3	02	9.39	3.80	-	-	-	0.38
दुकान संख्या-एस-6	01	15.15	6.02	-	-	-	0.61
दुकान संख्या-एस-7	01	18.71	7.42	-	-	-	0.75
दुकान संख्या-एस-10	01	6.667	4.52	-	-	-	0.46
दुकान संख्या-एस-11	01	8.667	5.87	-	-	-	0.59

**भरतपुरी योजना, गोण्डा**

व्यावसायिक भूखण्ड-1861/1 सामान्य कार्नर	01	363.85	10350.00	1.5	50	15 मीटर	3.77
व्यावसायिक भूखण्ड-1861/2 सामान्य कार्नर	01	297.00	10350.00	1.5	50	15 मीटर	3.08
व्यावसायिक भूखण्ड-1861/3 अ.पि.वर्ग	01	242.00	9408.00	1.5	50	15 मीटर	2.28
व्यावसायिक भूखण्ड-1861/4 सामान्य कार्नर	01	297.00	10350.00	1.5	50	15 मीटर	3.08
व्यावसायिक भूखण्ड-1861/5 अनु.जा. कार्नर	01	358.15	10350.00	1.5	50	15 मीटर	3.71

**नियम एवं शर्तें :** 1. आवेदन/सील्ड बिड फार्म संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु. 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2. सील्ड बिड/आफर अंकित करते हुए रु. 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन)/सील्ड बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्यदिवस) तक संबंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 3. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड संबंधित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है-कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, आफिस कम शॉपिंग काम्प्लेक्स, जवाहर नगर (भेलपुर), वाराणसी (सभी नगरों हेतु) वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु-सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, जवाहरनगर, वाराणसी, गोरखपुर हेतु, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सूरजकुण्ड, गोरखपुर। इलाहाबाद हेतु-सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, 50/6, आलोपी बाग, इलाहाबाद। फैजाबाद हेतु-सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, अंगूरी बाग, फैजाबाद। गोण्डा हेतु-सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा। 4. सम्पत्ति की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 5. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन संबंधी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लॉटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 6. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में संबंधित शहर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2013 तथा सील्ड बिड नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्यदिवस) में सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पत्रों पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7. अपूर्ण एवं शर्तें आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 8. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में 'जहां है जैसी है' के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 9. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टांप पेपर पर अनुबंध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। 10. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। 11. एक आवेदक के एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में अन्तिम आवंटन हेतु एक ही भवन/भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। 12. सील्ड बिड देते समय लिफाफे के ऊपर योजना/सम्पत्ति संख्या का उल्लेख न होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा। 13. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है। 14. कार्नर की सम्पत्तियों पर परिषद नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। 15. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। 16. आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के अनुसार देय होगा।

**डायल करें 0522-2236803**  
 टॉल फ्री-1800-180-5333  
 परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए की स्थापना की है जिसमें **जन सुविधा केन्द्र** आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।  
 यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

**उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद**  
 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ  
 (सेवोत्तम अनुवर्ती)  
 website : <http://www.upavp.com> E-Mail : [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)

